


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत सरीता देवी पति-हुलाश यादव ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 50, ग्राम: होन्हे, (रेयती भूमि) खाता सं.- 12; के अधीन प्लॉट सं.- 317, 327, 434, 459, 710, 744, 757, 780, 619, 296, 427; खाता सं.- 60, के अधीन प्लॉट सं.- 406, 715; खाता सं.- 22, के अधीन प्लॉट सं.- 332, 333; खाता सं.- 15, के अधीन प्लॉट सं.- 748; खाता सं.- 16, के अधीन प्लॉट सं.- 641; खाता सं.- 61, के अधीन प्लॉट सं.- 677; कुल रकबा: -2.00080 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
03/09/2024  
C.M(Min)/L4R